

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276277
SG-DL-E-17092026-276277

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/ भाद्र 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206
No. 267]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948	[N. C. T. D. No. 206

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

फा. सं. F.11/2026/Power/E-243215/6244-6252.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 45D के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 84 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य (Non-Legal) नियुक्त करते हैं। उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 और इस संबंध में बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगी।

सत्री के. सिंह, आई.ए.एस., विशेष सचिव (ऊर्जा)

DEPARTMENT OF POWER**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th September, 2026

F. No. F.11/2026/Power/E-243215/6244-6252.— In exercise of the powers conferred by Section 45D of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023 readwith Section 84(1) of the Electricity Act, 2003, the President is pleased to appoint **Shri Praveen Gupta, Member (Thermal), CEA** as the Member (Non-Legal) of Delhi Electricity Regulatory Commission. The other terms and conditions of his service shall be governed by Section 89 of the Electricity Act, 2003, and the rules and regulations made in this regard.

SUNNY K. SINGH, IAS, Spl. Secy. (Power)